न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 687-III/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-02-2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 56/2006-07 निगरानी

राजारामसिंह पुत्र लडडूलाल
निवासी ग्राम टाल तहसील बडौदा
जिला श्योपुर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

बजरंगीबाई पत्नी मांगीलाल पुत्र गप्पूलाल
निवासी ग्राम ढोढपुर तहसील [illegible]
जिला श्योपुर म0प्र0

.....अनावेदिका

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 56/2006-07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-02-2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता सन 1959 (जिसे आगे केवल 'संहिता' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत [illegible] गई है ।

2 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील श्योपुर के ग्राम [illegible] स्थित भूमि सर्वे क्रमांक [illegible] जिसके अभिलिखित [illegible] अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 26 [illegible] पारित आदेश दिनांक 22-12-1995 से अभिलिखित भूमिस्वामी हीरालाल के [illegible] [illegible]

[illegible] आवेदक [illegible] विवादित भूमि पर [illegible] भूमिस्वामी घोषित किये [illegible] प्रस्तुत [illegible] । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 05 / 1998-99 / अ-36 दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 30-09-1999 से विवादित भूमि पर आवेदक को भू-दान भूमिस्वामी घोषित किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-1999 से दुखित होकर एक निगरानी अनावेदक द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 112 / 2001-02 / निगरानी में दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 26-4-07 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-1999 को स्वमेव निगरानी मे लिये जाने का आदेश दिया। कलेक्टर जिला श्योपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-4-07 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-02-2010 से आवेदक की निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-02-2010 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3- प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें बताया गया कि कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी पर कलेक्टर को सुनवाई करना चाहिये थी न कि स्वमेव निगरानी मे प्रकरण लिये जाने का आदेश देना था । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वमेव निगरानी मे लिये जाने का क्या औचित्य था अपने आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया । जहाँ पहले से निगरानी प्रस्तुत हो चुकी है उसके बाद पुनः स्वमेव निगरानी में लिये जाने का कोई अधिकार नहीं रहता । इस बिन्दु पर अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा भी कोई विचार नहीं किया । अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया कि जिस आदेश के विरूद्व अपील होना चाहिये थी उस आदेश को स्वयं स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता है । जब भू-दान यज्ञ बोर्ड समाप्त हो चुका है तब वहाँ संहिता के प्रावधान लागू होंगे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का क्षेत्राधिकार से बाहर [illegible] । [illegible] में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा [illegible] निगरानी स्वीकार किया जाने का अनुरोध है ।

[illegible] अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से [illegible] के [illegible] भू-दान धारित भूमिस्वामी घोषित किये जाने की अधिकारिता [illegible] नहीं है [illegible] विचारण न्यायालय द्वारा [illegible] के तहत आवेदक को भू-दान धारित [illegible] विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-1999 [illegible] कि पूर्णतः [illegible] अवैध आदेश है अतः इस अवैध आदेश को कलेक्टर जिला श्योपुर [illegible]

निगरानी में लिया गया है जिसमें कोई आपत्ति नहीं की गई है व दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध रहेगा । अंत में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया ।

5. प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया । उक्त निगरानी कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 112/2001-02/निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26-4-07 के अनुक्रम में प्रस्तुत हुई है । इस आदेश के द्वारा कलेक्टर ने तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 5/1998-99/अ-86 में पारित आदेश दिनांक 30-9-1999 को स्वमेव निगरानी में लेने का आदेश दिया है । निगरानीकर्ता ने कलेक्टर के स्वमेव निगरानी के अधिकार को चुनौती दी है । संहिता की धारा 50 में प्रथमदृष्टया अवैध/नियम विपरीत आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने की कलेक्टर को असीमित शक्तियाँ दी गई है । जिनमें समयसीमा का कोई बन्धन भी नहीं डाला गया है । कलेक्टर ने इस प्रकरण में अनियमितता उनकी जानकारी में आने के तुरन्त बाद ही प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने का निर्णय लिया है । अतः इस संबंध में आवेदक की आपत्तियाँ स्वीकार योग्य नहीं है । वैसे भी प्रकरण में अभी गुणदोष पर निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया जाना है जहाँ आवेदक को अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध है । अतः अंतरिम आदेश के विरूद्ध परस्तुत इस दूसरी निगरानी (पहली निगरानी अपर आयुक्त द्वारा निरस्त की जा चुकी है।) में कोई बल नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर